



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112021-230987
CG-DL-E-09112021-230987

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4258]
No. 4258]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4621(अ).—केंद्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को मसाला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करती है और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार, पूर्ववर्ती वाणिज्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 123 (अ.) तारीख 26 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों रखी जाएंगी, अर्थात:-

"1.	श्री ए.जी. थंकप्पन, अक्कलाथिल गुरुनिवास, मनारकड़ डा.घ, कोट्टायम, केरल - 686019	अध्यक्ष (वह पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा बोर्ड की अवधि के साथ-साथ या अगले आदेशों तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहेंगे।)"
-----	--	--

[फा. सं. 5/10/2016-बागान-घ]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना के का. आ. 123 (अ), तारीख 26 जनवरी, 1987 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 442 (अ.) तारीख 27 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4621(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following person as Chairman of Spices Board for a period specified against his name and for that purpose make the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 123 (E), dated the 26th February, 1987, namely:-

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“1.	Shri A. G. Thankappan, Aakkalathil Gurunivas, Manarcad P.O., Kottayam, Kerala - 686019	- Chairman (He shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge of the post, or on co-terminus basis with the tenure of the Board, or until further orders, whichever is earliest)”.
-----	---	--

[F. No. 5/10/2016-Plant-D]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987 and was last amended by *vide* number S.O. 442(E), dated 27th January, 2020.